प्रथम सूचना रिपोर्ट

{अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया सहित}

1. जिला– **भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जालोर** थानाः– सीपीएस जयपुर **वर्ष** 2022
   प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 41/2022 दिनांक 10/02/2022
2. (1) अधिनियम 2018 धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120बी भादस
   (2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायेः–
   (3) अधिनियम .... धाराये :–........................
   (4) अन्य अधिनियम व धाराये :– ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 195 समय 3:10 Pm
   (ब) अपराध के घटने का दिन :– **मंगलवार, दिनांक 09.02.2022, समय 12.35 पी0एम0**
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक :– 08.02.2022 **समय** 05.15 पी0एम0
4. सूचना की किस्म :– **टाईपशुदा**
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी **:–चौकी से पूर्व दक्षिण में करीब 02 कि0मी0 दूर।**
   (ब) पता :– **एसआर ब्रदर्स पेट्रोल पम्प जालोर।**
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :–
6. परिवादी/सूचनाकर्त्ता :–
   श्री खीमपुरी पुत्र श्री प्रभुपुरी जाति गोस्वामी उम्र 35 वर्ष निवासी हनुमान नगर जालोर मोबाईल नम्बर 9799776725
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–

1. श्री श्योराम मीणा पुत्र श्री कल्याण सहाय जाति मीणा उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम ईश्वरीसिंह पुरा वाया आंधी तहसील जमवायरामगढ जिला जयपुर हाल अधीक्षक केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर रेंज XX।। जालोर।
2. श्री करताराम पुत्र श्री रूपा जी जाति चौधरी उम्र 51 वर्ष निवासी आर्शीवाद कॉलोनी गौडीजी जालोर तहसील व जिला जालोर।
3. श्री नितेश कुमार पुत्र श्री रामलाल गौड जाति ब्राहम्ण उम्र 35 वर्ष निवासी आशापूर्णा कॉलोनी तहसील व जिला जालोर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कोई नहीं।
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–........................
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्य **ट्रेप राशि** 1,00,000/–रू0 .
11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर हो तो)........................
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट ....

सेवामें

श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय,
A.C.B जालोर राजस्थान।

विषय :– रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़वाने के कम में।

महोदयजी,

निवेदन है कि मैं प्रार्थी खीमपुरी पुत्र श्री प्रभुपुरी जाति गोस्वामी उम्र 35 वर्ष निवासी हनुमान नगर जालोर मोबाईल नम्बर 9799776725 है। मैं फर्म जय गुरूदेव माईन्स में केयरटेकर का काम करता हूं। हमारे द्वारा उक्त फर्म का पूर्व का रिटन (टेक्स) जमा नही करवाया गया था इसलिए सीजीएसटी विभाग जालोर द्वारा हमारी उपरोक्त फर्म का सीजीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया था। इसको वापिस एक्टीवेट (चालू) करवाने के लिये मैनें करीब एक माह पूर्व का बकाया रिटन ऑनलाईन जमा करवा दिया था। रिटन जमा करवाने के उपरान्त भी सीजीएसटी विभाग के अधीक्षक श्री श्योराम मीणा मुझे बार–बार चक्कर कटवा रहै है। आज से करीब तीन–चार रोज पूर्व मैं श्री श्योराम मीणा अधीक्षक साहब से उनके कार्यालय में मिला तो उन्होनें कहा कि तुम्हारी फर्म को पुनः एक्टीवेट (चालू) करवाना है तो दो लाख रूपये खर्चे पानी के देने पडेगें वर्ना घूमते रहोगें।

मैं श्री श्योराम मीणा अधीक्षक सीजीएसटी विभाग जालोर को रिश्वत नही देना चाहता हूं रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। मेरी श्री श्योराम मीणा अधीक्षक से कोई दुश्मनी नही है एवं न ही कोई पैसे का लेन देन बकाया है। अतः श्रीमान को रिपोर्ट पेश कर अर्ज है कि उचित कानूनी कार्यवाही करावें।

दिनांक 08.02.2022

प्रार्थी
एसडी
खीमपुरी पुत्र श्री प्रभुपुरी जाति गोस्वामी
निवासी हनुमान नगर जालोर मोबाईल
नम्बर 9799776725

एसडी मुकेश शर्मा एसडी ईश्वर सिंह राव — एसडी महावीरसिंह अ.पु.अ.
09.02.2022 09.02.2022 — 08.02.2022

<u>कार्यवाही पुलिस दिनांक 08.02.2022 समय 05.15 पी0एम0</u>

इस समय परिवादी श्री खीमपुरी पुत्र श्री प्रभुपुरी जाति गोस्वामी उम्र 35 वर्ष निवासी हनुमान नगर जालोर मोबाईल नम्बर 9799776725 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महावीरसिंह राणावत, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालोर के समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त टाईपशुदा रिपोर्ट पेश की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रिपोर्ट को पढकर रिपोर्ट में उल्लेखित तथ्यों के बारे में परिवादी श्री खीमपुरी से तसल्ली से पूछा गया तो परिवादी श्री खीमपुरी ने बताया कि मैं फर्म जय गुरूदेव माईन्स में केयरटेकर का काम करता हूं। हमारे द्वारा उक्त फर्म का पूर्व का रिटर्नस (टेक्स) जमा नही करवाया गया था इसलिए सीजीएसटी विभाग जालोर द्वारा हमारी उक्त फर्म का सीजीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया था। इसको वापिस एक्टीवेट (चालू) करवाने के लिये मैनें करीब एक माह पूर्व का बकाया रिटर्नस ऑनलाईन जमा करवा दिया था। रिटन जमा करवाने के उपरान्त भी सीजीएसटी विभाग के अधीक्षक श्री श्योराम मीणा मुझे बार–बार चक्कर कटवा रहै है। आज से करीब तीन–चार रोज पूर्व मैं श्री श्योराम मीणा अधीक्षक साहब से उनके कार्यालय में

मिला तो उन्होनें कहा कि तुम्हारी फर्म को पुनः एक्टीवेट (चालू) करवाना है तो दो लाख रूपये खर्चे पानी के देने पडेगें वर्ना घूमते रहोगें। मैं श्री श्योराम मीणा अधीक्षक सीजीएसटी विभाग जालोर को रिश्वत नही देना चाहता हूं रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। मेरी श्री श्योराम मीणा अधीक्षक से कोई दुश्मनी नही है एवं न ही कोई पैसे का लेन देन बकाया है। अतः श्रीमान को रिपोर्ट पेश कर अर्ज है कि उचित कानूनी कार्यवाही करावें। परिवादी ने यह टाईपशुदा रिपोर्ट अपने किसी विश्वसनीय ईमित्र सेन्टर से टाईप करवाना बताया तथा उक्त रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर भी होना बताया तथा रिपोर्ट में लिखे सभी तथ्य सही होना बताया। परिवादी की रिपोर्ट में अंकितं तथ्य एवं उसके कथनों से मामला लोक सेवक द्वारा वैद्य कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टिया भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की परिभाषा में आने से प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् मालखाना प्रभारी श्री सुखाराम हैड कानि0 नं. 96 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर मालखाना से डिजीटल टेप रिकार्ड मंगवाकर खाली होना सुनिश्चित कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कानि0 श्री विक्रमसिंह नं0 556 को कार्यालय कक्ष में बुलाकर मालखाना से डिजीटल टेप रिकार्ड मंगवाकर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री खीमपुरी से उसका आपस में परस्पर परिचय करवाया गया। तत्पश्चात् कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्डर श्री विक्रमसिंह कानि0 को सुपूर्द कर हिदायत दी की कि परिवादी श्री खीमपुरी के साथ शिवाजी नगर ,जालोर में स्थित सीजीएसटी विभाग कार्यालय में जाकर श्री श्योराम मीणा अधीक्षक सीजीएसटी विभाग जालोर से सम्पर्क कर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन कराकर लावे। इत्यादी हिदायत देकर परिवादी श्री खीमपुरी तथा श्री विक्रमसिंह कानि0 को सीजीएसटी विभाग कार्यालय के लिए रवाना किया गया।

दिनांक 08.02.2022 को वक्त 06.40 पी0एम0 पर रिश्वती राशि मांग सत्यापन में गये हुये श्री विक्रमसिंह कानि0 हमरा परिवादी श्री खीमपुरी के ब्यूरो कार्यालय में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आये। श्री विक्रमसिंह कानि0 ने डिजीटल टेप रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द करते हुऐ बताया कि श्रीमान के निर्देशानुसार आज दिनांक 08.02.2022 को ब्यूरो कार्यालय से परिवादी खीमपुरी के साथ रवाना होकर शिवाजी नगर, जालोर में स्थित सीजीएसटी विभाग कार्यालय के समीप पहुँचा। जहां परिवादी श्री खीमपुरी ने अपने स्तर पर श्री श्योराम मीणा अधीक्षक की उपस्थिति के बारे में मालूमात की तो ज्ञात हुआ कि श्री श्योराम मीणा अधीक्षक सीजीएसटी विभाग जालोर में ही उपस्थित है। जिस पर परिवादी श्री खीमपुरी को कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्डर ऑन कर सुपुर्द कर सीजीएसटी विभाग जालोर में जाकर श्री श्योराम मीणा से सम्पर्क कर गोपनीय रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु रवाना किया। मन् कानि0 आस पास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के इन्तजार में व्यस्त रहा। कुछ समय पश्चात् परिवादी श्री खीमपुरी उपस्थित आया। परिवादी से डिजीटल टेप रिकार्ड प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर स्वंय के कब्जे लिया गया। परिवादी ने बताया कि श्री श्योराम मीणा अधीक्षक मुझे अपने कार्यालय कक्ष में उपस्थित मिले। जिनसे मैनें मेरी फर्म जय गरूदेव ग्रेनाईट को पुनः एक्टीवेट करवाने का कहने पर श्री श्योराम मीणा ने पहले दो लाख की रिश्वत की मांग की बाद में मेरे द्वारा विनती करने पर डेढ लाख व बाद में एक लाख रूपये रिश्वत की मांग की गई। वगैरा वार्ता उक्त टेप रिकार्डर में रिकार्ड है। तत्पश्चात मैं एंव परिवादी श्री खीमपुरी शिवाजी नगर, जालोर स्थित सीजीएसटी कार्यालय से रवाना होकर आपके समक्ष उपस्थित आये है।

उपस्थित परिवादी ने भी कानि0 श्री विक्रमसिंह के कथनो की ताईद की। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजीटल टेप रिकार्डर को ऑन कर रिवर्स कर सुना तो कानि0 श्री विक्रमसिंह एंव परिवादी श्री खीमपुरी के कथनो की ताईद होते हुए रिश्वती राशि मांग की स्पष्ट पुष्टि होना पाया गया। जिस पर अग्रिम ट्रेप का आयोजन दिनांक 09.02.2022 को करने निर्णय लिया गया। ट्रेप कार्यवाही दिनांक 09.02.2022 को किया जाना सुनिश्चत होने से टेप रिकार्डर जिसमें रिश्वती राशि मांग की वार्तालाप रिकार्ड को सुरक्षित मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कब्जे में रखा। जिसकी आईन्दा गवाहन एवं परिवादी के रूबरू ट्रांसक्रिप्टस रिश्वती राशि मांग सत्यापन एवं सीडीया तैयार करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री खीमपुरी को हिदायत दी कि आरोपी श्री श्योराम मीणा अधीक्षक सीजीएसटी विभाग जालोर द्वारा रिश्वत में मांगी गई राशि एक लाख रूपये की व्यवस्था कर दिनांक 09.02.2022 को ब्यूरो कार्यालय जालोर पर उपस्थित आवें इत्यादि हिदायत देकर परिवादी श्री खीमपुरी को रूखस्त किया गया। दिनांक 09.02.2022 को प्रातः जल्दी ट्रेप कार्यवाही प्रस्तावित होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री विक्रमसिंह कानि0 को उप वन सरंक्षक जालोर से वार्ता कर दिनांक 09.02.2022 को प्रातः गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान उपलब्ध करवाने हेतु पाबंध किया गया एवं ब्यूरो चौकी के स्टाफ को भी प्रातः 08.00 ए0एम0 पर उपस्थित होने हेतु पाबंध किया गया।

दिनांक 09.02.2022 को वक्त 08.00 ए0एम0 पर पूर्व पाबंध सुदा परिवादी श्री खीमपुरी ब्यूरो चौकी पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में उपस्थित आया एवं बताया कि श्री श्योराम मीणा अधीक्षक सीजीएसटी विभाग जालोर के कहे अनुसार मांगी गई रिश्वत राशि 100000 (एक लाख) रुपये साथ लेकर आया हूँ। इसी दौरान पूर्व से पाबंध सुदा दो सरकारी गवाह ब्यूरो चौकी जालोर पर उपस्थित आये एवं बताया कि श्रीमान् उप वन सरंक्षक साहब के टेलीफोनिक वार्ता अनुसार एसीबी की गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह हेतु पाबंध होने पर उपस्थित हुए है, जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान का परिचय प्राप्त किया गया तो उन्होनें अपना-अपना परिचय क्रमशः श्री मुकेश शर्मा पुत्र श्री चेतन शर्मा जाति शर्मा उम्र 31 वर्ष निवासी शान्तिनगर जालोर पुलिस थाना कोतवाली जालोर जिला जालोर हाल सहायक वनपाल कार्यालय उप वन सरक्षंक जालोर मोबाईल नम्बर 8209982757 एवं श्री ईश्वरसिंह राव पुत्र श्री बलवंतसिंह जाति राव उम्र 35 वर्ष निवासी ग्रम आंवलोज पुलिस थाना कोतवाली जालोर तहसील व जिला जालोर हाल सहायक वनपाल नाका आहोर कार्यालय उप वन सरक्षंक जालोर मोबाईल नम्बर 9462288257 होना बताया। दोनो गवाहान को ब्यूरो कार्यालय में बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में उपस्थित परिवादी श्री खीमपुरी का दोनो गवाहान से परस्पर परिचय करवाया गया एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनो गवाहान को पढ़ाया गया। दोनो गवाहान ने भी परिवादी से उक्त शिकायत के तथ्यो के सम्बंध में वार्ता कर पूर्ण तस्सली की। तत्पश्चात रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप को डिजीटल टेप रिकॉर्डर चालू कर परिवादी की उपस्थिति में दोनो गवाहान को सुनाया गया। परिवादी की रिपोर्ट एंव वार्तालाप को सुनने के पश्चात अपने स्तर पर दोनों गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर करते हुए कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बनने की सहमति प्रदान की। तत्पश्चात् परिवादी श्री खीमपुरी को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

नें आरोपी श्री श्योराम मीणा अधीक्षक सीजीएसटी विभाग जालोर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने का कहने पर परिवादी नें दोनों निष्पक्ष गवाहान की उपस्थिति में दो–दो हजार रूपये के 50 नोट कुल 1,00,000 (एक लाख) रूपये मुझ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटो के नम्बर निम्नानुसार है :–

1.	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	8	CW	147824
2.	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	4	DU	829929
3	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	3	BV	665099
4	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	9	GL	305866
5	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	7	BL	158175
6	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	7	FA	277266
7	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	1	FP	220525
8	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	3	CC	943602
9	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	8	BP	814638
10	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	4	MP	003449
11	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	9	MF	514805
12	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	0	EW	581005
13	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	5	DE	502197
14	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	6	HF	447138
15	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	3	DB	161334
16	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	5	HV	020512
17	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	6	AA	766759
18	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	5	FB	928822
19	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	7	MU	210093
20	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	2	MK	665837
21	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	2	HF	938548
22	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	8	GF	397419
23	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	6	BS	501724
24	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	8	FG	845807
25	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	3	GN	297927
26	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	0	KV	596638
27	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	8	LL	897476
28	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	2	ED	342942

29	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	3	FK	394957
30	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	0	CN	304306
31	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	3	MV	872002
32	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	5	HQ	659308
33	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	7	AG	548866
34	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	2	BL	294608
35	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	6	CN	347476
36	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	1	BF	941615
37	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	0	FM	500933
38	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	8	HM	388154
39	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	9	HS	743868
40	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	2	FG	478852
41	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	2	AS	639916
42	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	7	MD	599305
43	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	1	GN	304572
44	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	3	DA	277951
45	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	7	DV	716962
46	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	9	HQ	954331
47	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	4	BT	390500
48	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	0	FQ	948702
49	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	8	ES	885730
50	एक नोट दौ हजार रूपये का नम्बरी	6	BL	146532

मालखाना प्रभारी श्री सुखाराम हैड कानि0 नं0 96 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशि मंगवाई गई। उपरोक्त सभी नोटो को अखबार पर रखवाये जाकर नोटों पर श्री गुलाबसिंह कानि0 नं0 140 से फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री खीमपुरी की जामा तलाशी गवाह श्री मुकेश शर्मा से लिवाई गई तो परिवादी के पास कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। इसके बाद फिनोफथलीन पाउडर युक्त 10,0000/–(एक लाख) रूपयें के नोट श्री गुलाबसिंह कानि0 नं0 140 से ही परिवादी के पहनी हुई कमीज की बांयी जेब में रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह अपनी जेब मे रखे नोटों को हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी श्री श्योराम मीणा द्वारा मांगने पर ही निकालकर उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व आरोपी से हाथ नहीं मिलायें, यदि अभिवादन करने की आवश्यकता पड़े तो दूर से दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर ले। आरोपी रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां

रखता है अथवा कहॉ छुपाता हैं या किस व्यक्ति को दिलवाता है इसका भी ध्यान रखें। परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद अपने सिर पर दो तीन बार हाथ फेर कर या अपने मोबाईल से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल कर गोपनीय ईशारा करे। तत्पश्चात एक कांच की साफ गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान, परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री गुलाबसिंह कानि0 नं0 140 के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर घुलवाई गई तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाऊडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया–प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में सभी को भली भांति समझाया गया। फिर गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवा कर उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया जिस पर नोटों को रखकर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था। समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में ली जाने वाली सामग्री वगैरहा को भी साफ पानी व साबुन से दो–दो बार धुलवाया गया एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिरवाई जाकर कोई आपत्तिजनक वस्तु एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई। मन् महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना मोबाईल अपने पास रखा। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुननें का प्रयास करें। नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री गुलाबसिंह कानि0 नं0 140 को ट्रेप कार्यवाही से पृथक रखने का निर्णय लिया जाकर कार्यालय निगरानी हेतु पीछे छोड़ा गया। उक्त कार्यवाही का विस्तृत विवरण फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रिश्वत राशि एवं प्रर्दशन फिनॉफ्थिलीन पाऊडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाऊडर में किया जाकर फर्द पर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द शामिल रनिंग नोट की गयी। तत्पश्चात् परिवादी श्री खीमपुरी एवं आरोपी श्री श्योराम मीणा अधीक्षक, सीजीएसटी जालोर के मध्य दिनांक 08.02.2022 को हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन की वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त वार्ता को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के समक्ष सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सी.डी. तैयार कर एक को मूल मानते हुये कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दुसरी सी.डी. को डब मानते हुये खुली रखी गई। उक्त दोनों सी.डी. को मालखाना प्रभारी श्री सुखाराम हैड कानि0 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई।

तत्पश्चात् वक्त 10.45 ए0एम0 पर ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस स्वतन्त्र गवाहन श्री मुकेश व श्री ईश्वरसिंह राव एवं ब्यूरो जाब्ता हैड कानि0 श्री सुखाराम नं0 96, श्री भवानीसिंह

कानि0, श्री विक्रमसिंह कानि0, श्री श्री गोपाल कुमार कानि0 ,कालूराम कानि0, श्री आदूराम कानि0, मय डिजीटल टेप रिकार्डर, लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स एवं आवश्यक सामग्री के जरिये निजी वाहनो के भ्रनिब्यूरो चौकी जालोर से सीजीएसटी कार्यालय की तरफ रवाना हुऐ। श्री गुलाबसिंह कानि0 को निगरानी हेतु कार्यालय पर छोडा गया। उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा शिवाजी नगर स्थित सीजीएसटी कार्यालय के पास पहुँचकर परिवादी श्री खीमपुरी से आरोपी श्री श्योराम मीणा अधीक्षक की उपस्थिति के बारे में जानकारी ज्ञात की तो श्री श्योराम मीणा अधीक्षक अपने कार्यालय में ही उपस्थित होना ज्ञात हुआ। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री खीमपुरी को डिजीटल टेप रिकार्डर ऑन कर चलाने की समझाईस कर उसे सुपूर्द कर रिश्वती राशि देने हेतु श्री श्योराम मीणा अधीक्षक के कार्यालय की तरफ रवाना करते हुऐ हिदायत दी कि श्री श्योराम मीणा अधीक्षक के मिलने पर उक्त रिश्वती राशि उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने के पश्चात उससे हाथ नहीं मिलावे एवं ट्रेप पार्टी को देखते हुऐ पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा करे व रिश्वती राशि लेन–देन वार्ता को डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड करे। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायान के सीजीएसटी विभाग जालोर के इर्द–गिर्द अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में व्यस्त हुए।

कुछ समय पश्चात् परिवादी श्री खीमपुरी बिना किसी गोपनीय ईशारा किये हुए मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समीप उपस्थित आया। परिवादी श्री खीमपुरी को दिये डिजीटल टेप रिकार्डर को प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने कब्जे लिया गया। परिवादी श्री खीमपुरी ने बताया कि श्रीमान के निर्देशानुसार मैं सीजीएसटी विभाग जालोर में श्री श्योराम मीणा अधीक्षक साहब से मिला तो उन्होनें मेरे उक्त रिश्वती राशि नही लेकर श्री नितेश कुमार को देने का कहा है। जिस पर मैं रवाना होकर श्रीमान के समक्ष उपस्थित आया हूं। तत्पश्चात् डिजीटल टेप रिकार्डर को चालू कर सुना गया तो परिवादी के कथनो की ताईद हुई। उक्त रिकार्डिग वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट आईन्दा मुर्तिब करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री श्योराम मीणा अधीक्षक के कहेनुसार श्री नितेश से रिश्वती राशि आदान–प्रदान करवाने का निर्णय लिया गया। उसी समय आरोपी श्री नितेश के मोबाईल नं. 9929472970 से परिवादी श्री खीमपुरी के मोबाईल नं. 9799776725 पर मिस कॉल आया। तत्पश्चात् उसी समय परिवादी श्री खीमपुरी के मोबाईल नम्बर 9799776725 से आरोपी श्री नितेश के मोबाईल नं. 9929472970 पर कॉल करवाया तो आरोपी श्री नितेश ने परिवादी श्री खीमपुरी को रिश्वती राशि एक लाख रूपये एसआर ब्रदर्स पेट्रोल पम्प पर श्री सुमेरजी या करताराम सैल्समैन को देने हेतु कहा है। उक्त वार्ता परिवादी के फोन का स्पीकर ऑन कर कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड करवायी गई। तत्पश्चात् सह आरोपी श्री नितेश के कहेनुसार श्री सुमेर या करताराम से रिश्वती राशि आदान–प्रदान करवाने का निर्णय लिया गया। परिवादी श्री खीमपुरी को कार्यालय हाजा का डिजीटल टेप रेकार्डर देकर ऑन कर चलाने की समझाईश कर रिश्वती राशि सह आरोपी श्री नितेश को कहेनुसार श्री सुमेर या करताराम को देने हेतु रवाना किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायान के परिवादी के गोपनीय ईशारे में व्यस्त हुए।

कुछ समय पश्चात् रूबरू मौतबीरान परिवादी श्री खीमपुरी ने एसआर ब्रदर्स पेट्रोल पम्प जालोर के आगे पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने सिर पर दो तीन बार हाथ फेर कर किया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महावीरसिंह राणावत मय हमरायान स्वंत्रत गवाहन एवं ब्यूरो जाब्ता के शीघ्र ही रवाना होकर परिवादी श्री खीमपुरी के पास पहुंच पूर्व में दिये गये डिजीटल टेप रिकार्डर को प्राप्त कर ऑफ कर अपने कब्जे लिया। परिवादी श्री खीमपुरी ने अपने पास ही खडे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि अभी कुछ देर पहले मैं सीजीएसटी विभाग जालोर के अधीक्षक श्री श्योराम मीणा से रिश्वती राशि 1,00,000 रूपये देने हेतु मिला तो उन्होनें मुझे उक्त रिश्वती राशि श्री नितेश कुमार को एसआर ब्रदर्स पेट्रोल पम्प जालोर पर देने हेतु कहा था। जिस पर मैं सीजीएसटी विभाग से रवाना होकर एसआर ब्रदर्स पेट्रोल पम्प जालोर जाने लगा तो श्री नितेश कुमार का मेरे मोबाईल पर मिस कॉल आया तथा मेरे द्वारा पुनः कॉल करने पर उसने कहा कि वह किसी काम से बाहर है तथा उक्त रिश्वती राशि उसके पेट्रोल पम्प पर सैल्समैन सुमेरजी या करताराम को देने हेतु कहा। जिस पर मैं तुरन्त एसआर ब्रदर्स पेट्रोल पम्प जालोर पहुंचा तथा यहां उपस्थित श्री करताराम सैल्समैन को रिश्वती राशि 1,00,000 रूपये दिये तो उन्होनें उक्त रिश्वती राशि अपने हाथ में लेकर गिनने लगे। जिस पर मैनें आपको पूर्व में निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने सिर पर दो तीन बार हाथ फेर कर किया। यह श्री करताराम जी है जिन्होनें अभी–अभी मेरे से रिश्वती राशि 1,00,000 रूपये प्राप्त कर अपने बांये हाथ की मुठ्ठी में पकडे है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना एवं हमरायान का परिचय देते हुए यहां आने के मन्तव्य से अवगत करवाकर उसका परिचय पूछा तो उसने अपना परिचय करताराम पुत्र श्री रूपा जी जाति चौधरी उम्र 51 वर्ष निवासी आर्शीवाद कॉलोनी गौडीजी जालोर तहसील व जिला जालोर होना बताया। जिस पर सह आरोपी श्री करताराम को परिवादी को जानने एवं परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त करने के बारे में पूछा गया तो सह आरोपी श्री करताराम ने बताया कि मैं उक्त व्यक्ति को नही जानता हूं। मैनें इनसे यह राशि श्री नितेश कुमार के कहेनुसार प्राप्त की है। उक्त राशि से मेरा कोई लेना देना नही है। तत्पश्चात् पास ही खडे परिवादी श्री खीमपुरी ने बताया कि हमारी फर्म जय गुरूदेव माईन्स का वर्ष 2019 में सीजीएसटी रजिस्ट्रेशन हो रखा है। उक्त फर्म के प्रोपराईटर श्री भूपेश सोलंकी मेरे मित्र है, मैं उक्त फर्म में केयरटेकर के रूप में काम करता हूं। हमारी फर्म के सीजीएसटी नम्बर 08AZLPS0769E1ZZ है। हमारे द्वारा फर्म के बकाया रिटर्नस (टेक्स) नही जमा करवाने की वजह से सीजीएसटी विभाग जालोर द्वारा हमारी फर्म का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया था। जिस पर मेरे द्वारा आज से करीब एक माह पूर्व बकाया रिटर्नस जमा करवा दिया गया था जिसके बावजूद भी सीजीएसटी विभाग जालोर के अधीक्षक श्री श्योराम मीणा मुझे बार–बार चक्कर कटवा रहे थे। करीब चार–पांच रोज पूर्व मैं उनसे मिला तो उन्होनें मुझसे दौ लाख रूपये रिश्वत की मांग की। दिनांक 08.02.2022 को मैं उनसे मिला तो उन्होनें मुझसे पहले दौ लाख रिश्वत मांगने पर मेरे द्वारा पुनः विनती करने पर डेढ लाख व कुछ देर बाद एक लाख रिश्वत राशि लेने पर सहमत हुए। आज दिनांक 09.02.2022 को कुछ देर पहले मैं श्री श्योराम मीणा अधीक्षक साहब से मिला तो उन्होनें उक्त रिश्वती राशि अपने परिचित श्री नितेश कुमार को एसआर ब्रदर्स पेट्रोल पम्प जालोर पर देने हेतु कहा। जिस पर मैं वहां से निकल कर पेट्रोल पम्प

जाने लगा तो बीच रास्ते में श्री नितेश कुमार का मेरे मोबाईल पर मिस कॉल आया तथा मेरे द्वारा उसे पुनः कॉल करने पर उसने कहा कि मैं किसी काम से बाहर गया हूं, आप रूपये मेरे पम्प पर सेल्समैन सुमेरजी या करताराम को दे देना। जिस पर मैंने अभी कुछ देर पहले ही श्री करताराम को रिश्वती राशि 1,00,000 रूपये दिये है जो इन्होनें लेकर गिनते हुए अपने बांये हाथ की मुठ्ठी में पकडे है। लिहाजा हमराह स्वतन्त्र गवाह श्री मुकेश शर्मा सहायक वनपाल को सह आरोपी श्री करताराम के हाथो में पकडे हुए रिश्वती राशि दौ–दौ हजार रूपये की गड्डी उसी अवस्था में पकडवाये गये तथा स्वतन्त्र गवाह श्री मुकेश शर्मा से ही चैक करवाकर गिनवाए गए तो यह राशि दौ–दौ हजार रूपये के कुल पचास नोट कुल 1,00,000 रूपये होना पाया गया। जिस पर दूसरे स्वतन्त्र गवाह श्री ईश्वरसिंह राव को पूर्व में मुर्तिब सुदा फर्द पेशकशी की प्रति देकर इन नोटों के नंबरो का मिलान करवाया गया तो दौ–दौ हजार रूपये के पचास नोटों वाली गड्डी के सभी नोटों के नंबर हुबहु फर्द पेशकशी के मुताबिक पाये जाने से उक्त बरामदा रिश्वती राशि 1,00,000 रूपये गवाह श्री मुकेश शर्मा के पास सुरक्षित रखवाए गए। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री श्योराम मीणा अधीक्षक को दस्तयाब करने हेतु गये हुए श्री राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस मय जाप्ता को जरिये मोबाईल हिदायत दी कि अधीक्षक श्री श्योराम मीणा को दस्तयाब कर पुलिस थाना कोतवाली जालोर पहुंचे। तत्पश्चात् एसआर ब्रदर्स पेट्रोल पम्प के आस पास अत्यधिक भीड एकत्रित होने से सह आरोपी श्री करताराम को दस्तयाब कर सुरक्षा की दृष्टि से मय परिवादी खीमपुरी एवं स्वतन्त्र गवाहन मय ट्रेप पार्टी के सदस्यो के जरिये निजी वाहनो से पुलिस थाना कोतवाली जालोर को रवाना हुए।

तत्पश्चात् उपरोक्त फिगरा के रवाना शुदा पुलिस थाना कोतवाली जालोर पहुँचे। जहां पर पूर्व पाबन्द शुदा ब्यूरो स्टाफ उपस्थित मिले। जिन्हे श्री श्योराम मीणा अधीक्षक की उपस्थिति के बारे में पुछने पर श्री राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस ने बताया कि आपके कहेनुसार केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर विभाग जालोर पहुंचा, जहां आरोपी श्री श्योराम मीणा अपने कार्यालय कक्ष में उपस्थित मिला जिस पर उसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम श्योराम मीणा अधीक्षक केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर जालोर होना बताया। जिस पर श्री श्योराम मीणा अधीक्षक को दस्तयाब कर पुलिस थाना कोतवाली लेकर उपस्थित आये है जो श्रीमान के समक्ष उपस्थित है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री श्योराम मीणा अधीक्षक को अपना व हमरायान का परिचय देते हुये यहां आने के मन्तव्य से अवगत करवाकर उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्योराम मीणा पुत्र श्री कल्याण सहाय जाति मीणा उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम ईश्वरसिंह पुरा वाया आंधी तहसील जमवायरामगढ जिला जयपुर हाल अधीक्षक केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर रेंज जालोर होना बताया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री श्योराम मीणा अधीक्षक को परिवादी श्री खीमपुरी की फर्म जय गुरूदेव माईन्स को पुनः एक्टीवेट (चालू) करने की ऐवज में रिश्वती राशि 1,00,000 रू श्री नितेश कुमार के मार्फत श्री करताराम को दिलवाने बाबत् पूछा तो श्री श्योराम मीणा अधीक्षक ने बताया कि मैं खीमपुरी जी को जानता हूं। इनकी फर्म जय गुरूदेव माईन्स का पिछला बकाया रिटर्नस पैण्डिंग होने की वजह से उनकी फर्म को सस्पेंड कर दिया गया था। इन्होनें करीब एक माह पूर्व पैण्डिंग रिटर्नस जमा करवाया दिया था परन्तु अपनी रिपलाई पुट अप नही की थी जिसकी वजह से फर्म को पुनः एक्टीवेट नही किया गया था।

कल श्री खीमपुरी मेरे पास आये थे तथा मैनें इनकी फर्म को इनके सामने ही पुनः एक्टीवेट कर दी थी। आज श्री खीमपुरी पुनः मेरे पास आये थे तो मैनें उन्हें उक्त कार्य की ऐवज में मैनें 1,00,000 रूपये मेरे परिचित श्री नितेश को देने हेतु कहा था। साहब मेरे से गलती हो गई है मुझे माफ करो। आरोपी श्री श्योराम मीणा अधीक्षक के रूबरू सहआरोपी श्री करताराम को परिवादी श्री खीमपुरी से रिश्वत में प्राप्त की गई राशि 1,00,000 रू के बारे में पुछा गया तो श्री करताराम ने पूर्व के कथनों की ताईद करते हुए कहा कि मैनें यह राशि श्री नितेश के कहने से ली है। इसमें मेरा कोई लेना देना नही है तथा पास ही उपस्थित परिवादी श्री खीमपुरी ने भी दोनो आरोपीगणो के कथनो की ताईद की। आरोपी श्री श्योराम मीणा अधीक्षक को परिवादी श्री खीमपुरी की फर्म को एक्टीवेट करने सम्बंधित दस्तावेजात के बारे में पुछा तो आरोपी श्री श्योराम मीणा अधीक्षक ने बताया कि फर्म को सस्पेंड करने के पश्चात् पुनः एक्टीवेट करने की समस्त प्रकिया ऑनलाईन ही होती है। मेरे द्वारा कल दिनांक 08.02.2022 को शाम के वक्त परिवादी श्री खीमपुरी की फर्म को पुनः एक्टीवेट कर दिया था। फर्म के रजिस्ट्रेशन एवं एक्टीवेट करने संबधी दस्तावेजात मेरी आईडी से लॉगईन करके पर हमारे कार्यालय के कम्पयूटर से प्रिन्ट निकाल कर पेश कर दूंगा। तत्पश्चात आरोपी श्री श्योराम मीणा अधीक्षक की जामा तलाशी गवाह श्री मुकेश शर्मा सहायक वनपाल से लिरवाई गई तो आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की पिछे की जेब में 1000 रूपये नगद पाये गये। आरोपी की बांयी जेब में एक मोबाईल ड्यूल सिम SUMSUNG GALAXY 8 कम्पनी का पाया गया, जिसमें एक सिम मोबाईल नं0 3678039478 व दूसरी सिम नं0 मोबाईल नं0 9001021247 होना पाये गये। उक्त मोबाईल एवं राशि 1000 रूपये को पुनः आरोपी श्री श्योराम मीणा अधीक्षक को सुपुर्द किया गया। राशि 1000 रूपये एंव मोबाईल के अलावा आरोपी के पास जामा तलाशी के दौरान अन्य कोई वस्तु, दस्तावेज एंव राशि वगैरहा नहीं पाई गई एंव न ही कब्जा ब्यूरो ली गई। तत्पश्चात् सह आरोपी श्री करताराम के हाथो का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी के रूबरू सह आरोपी श्री करताराम के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। कांच की दो साफ गिलासों में साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर इस पानी में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में सह आरोपी श्री करताराम के दांहिने हाथ की अंगुलियों को घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीनों ने स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। इसी प्रकार तैयार घोल के दूसरे गिलास में सह आरोपी श्री करताराम के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीनों ने स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भर कर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात स्वतन्त्र गवाह श्री मुकेश शर्मा सहायक वनपाल जिन्हें पूर्व में बरामदा रिश्वती राशि सुरक्षार्थ सुपुर्द की गई थी, से प्राप्त कर एक बार पुनः गिनती करवाई गई तो 2000-2000 रू0 के 50 नोट कुल 1,00,000 रू. होने पाये गये। गवाह श्री ईश्वरसिंह राव

को पूर्व में मुर्तिब सुदा फर्द पेशकशी की प्रति देकर उक्त नोटों के नम्बरों का पुनः मिलान फर्द पेशकशी में अंकित नंबरो से करवाया गया तो सभी नोटों के नंबर हुबहु फर्द पेशकशी के मुताबिक पाये गये। उक्त रिश्वती राशि को एक कपड़े में सील चिट कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिये गए। तत्पश्चात सह आरोपी श्री करताराम की जामा तलाशी गवाह श्री मुकेश शर्मा से लिरवाई गई तो पहनी हुई पेण्ट की दांहिनी जेब में एक ड्यूल सिम REALME कम्पनी का पाया गया, जिसमें एक सिम मोबाईल नं0 9413853426 व दूसरी सिम नं0 मोबाईल नं0 9772950728 होना तथा पेंट की बांयी जेब में 2000 रू0 होना पाये गये। उक्त मोबाईल एवं राशि 2000 रूपये को पुनः सहआरोपी श्री करताराम को सुपुर्द किया गया। रिश्वती राशि 1,00,000 रू0, राशि 2000 रू0 एंव मोबाईल के अलावा आरोपी के पास जामा तलाशी के दौरान अन्य कोई वस्तु, दस्तावेज एंव राशि वगैरहा नहीं पाई गई एंव न ही कब्जा ब्यूरो ली गई। उक्त राशि को एक सफेद कपड़े की थेली में शील्ड मौहर कर थेली पर कार्यवाही व नोटों संबधी विवरण अंकित कर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वती राशि वक्त लेन–देन वार्तालाप सुना गया तो रिश्वती राशि लेन–देन वार्तालाप रिकॉर्ड होना पाया गया, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से मुर्तिब होगी। उक्त कार्यवाही में श्री नितेश कुमार की भूमिका संदिग्ध होना पाया जाता है। श्री नितेश कुमार के बारे में गुप्त रूप से जानकारी प्राप्त की तो आरोपी नितेश कुमार का जालोर में नही होना ज्ञात हुआ है तथा आरोपी श्री नितेश कुमार का मोबाईल भी बंद हो रखा है। इस ट्रेप कार्यवाही से सम्बंधित हालात ब्यूरो के उच्च अफसरान को निवेदन किए गए।

तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वंतत्र गवाहन मय परिवादी श्री खीमपुरी मय आरोपी श्री श्योराम मीणा अधीक्षक मय ब्यूरो जाब्ता के घटनास्थल का मौका मुआयना व आरोपी के कार्यालय कक्ष की खाना तलाशी करने हेतु एसआर पेट्रोल पम्प व शिवाजी नगर सीजीएसटी ऑफीस जालोर की तरफ रवाना हुआ। श्री सुखाराम हैड कानि0 तथा कानि0 आदूराम को सह आरोपी श्री करताराम की निगरानी बाबत् आवश्यक हिदायत दी गई। उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा एसआर ब्रदर्स पेट्रोल पम्प जालोर पहुंचा, जहां परिवादी श्री खीमपुरी की निशादेही से रूबरू मौतबीरान के घटनास्थल का मौका मुआयना कर फर्द नक्शा मुर्तिब कर शामिल रंनिग नोट किया गया। तत्पश्चात् मय स्वंतत्र गवाहन मय परिवादी मय आरोपी श्री श्योराम मीणा अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की खाना तलाशी हेतु शिवाजी नगर स्थित सीजीएसटी कार्यालय जालोर रवाना होकर सीजीएसटी कार्यालय जालोर पहुंच आरोपी श्री श्योराम मीणा अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की खाना तलाशी प्रारम्भ कर फर्द खाना तलाशी पृथक से मुर्तिब कर शामिल रंनिग नोट की गई। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायान के शिवाजी नगर से पुलिस थाना कोतवाली की तरफ रवाना रवानाशुदा मय हमरायान के पुलिस थाना कोतवाली पहुंचे। बाद कार्यवाही मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहन मय आरोपीगण मय ब्यूरो जाप्ता के ब्यूरो कार्यालय जालोर की तरफ रवाना हुआ। तत्पश्चात् उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा भ्रनिब्यूरो कार्यालय पहॅुच प्रकरण हाजा में जब्त शुदा मालखाना आईटम क्रमशः सह आरोपी श्री करताराम से बरामदा रिश्वती राशि 1,00,000 (एक लाख) रूपये, आरोपी के दोनों हाथों के धोवन की शिशियां क्रमशः मार्क आर.एच.–1, आर.एच.–2, एल.एच.–1, एल.एच.–2 मालखाना प्रभारी हैड कानि0 श्री सुखाराम नं0 96 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये। प्रकरण में आरोपी श्री श्योराम मीणा अधीक्षक, सीजीएसटी विभाग जालोर एवं सह आरोपी श्री करताराम की

कोविड–19 जांच हेतु लेब टेक्नीसीयन श्री लक्ष्मण भादरू को ब्यूरो चौकी पर तलब कर आरोपी का कोविड–19 जांच करवाई जाकर परीक्षण रिपोर्ट नकारात्मक प्राप्त की गई।

तत्पश्चात् परिवादी श्री खीमपुरी एवं आरोपी श्री श्योराम मीणा अधीक्षक के मध्य आज दिनांक 09.02.2022 को रूबरू हुई रिश्वती राशि लेन–देन पूर्व वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड हैं। उक्त वार्ताओं को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी श्री खीमपुरी के सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्टस् रिश्वती राशि लेन–देन पूर्व वार्ता मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। उक्त वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सी.डी. तैयार कर एक को मूल मानते हुये कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दूसरी सी.डी. को डब मानते हुये खुली रखी गई। रिश्वती राशि लेन–देन पूर्व वार्ता की एक शिल्ड शुदा सी.डी एक व एक डब सी.डी., मालखाना प्रभारी हैड कानि0 श्री सुखाराम नं0 96 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। आरोपी श्री श्योराम मीणा अधीक्षक की आवाज की पहचान परिवादी श्री खीमपुरी द्वारा की गई। तत्पश्चात् परिवादी श्री खीमपुरी एवं सह आरोपी श्री नितेश के मध्य आज दिनांक 09.02.2022 को परिवादी श्री खीमपुरी के मोबाईल नं. 9799776725 से आरोपी श्री नितेश के मोबाईल नम्बर 9929472970 पर वार्ता करवाई गई, जिसमें परिवादी श्री खीमपुरी के मोबाईल का लाउड स्पीकर ऑन कर वार्ता को डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था। उक्त वार्ता को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी श्री खीमपुरी के सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्टस् रिश्वती राशि लेन–देन पूर्व वार्ता मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। उक्त वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सी.डी. तैयार कर एक को मूल मानते हुये कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दूसरी सी.डी. को डब मानते हुये खुली रखी गई। रिश्वती राशि लेन–देन वार्ता की एक शिल्ड शुदा सी.डी एक व एक डब सी.डी., मालखाना प्रभारी हैड कानि0 श्री सुखाराम नं0 96 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। आरोपी श्री श्योराम मीणा अधीक्षक की आवाज की पहचान परिवादी श्री खीमपुरी द्वारा की गई। ताबाद परिवादी श्री खीमपुरी एवं सह आरोपी श्री करताराम (प्राईवेट व्यक्ति) के मध्य आज दिनांक 09.02.2022 को रूबरू हुई रिश्वती राशि लेन–देन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड हैं। उक्त वार्ताओं को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी श्री खीमपुरी के सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्टस् रिश्वती राशि लेन–देन वार्ता मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। उक्त वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सी.डी. तैयार कर एक को मूल मानते हुये कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दूसरी सी.डी. को डब मानते हुये खुली रखी गई। रिश्वती राशि लेन–देन वार्ता की एक शिल्ड शुदा सी.डी एक व एक डब सी.डी., मालखाना प्रभारी हैड़ कानि0 श्री सुखाराम नं0 96 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। आरोपी श्री श्योराम मीणा अधीक्षक की आवाज की पहचान परिवादी श्री खीमपुरी द्वारा की गई।

तत्पश्चात् वक्त 08.00 पी0एम0 पर आरोपी श्री श्योराम मीणा अधीक्षक, सीजीएसटी विभाग जालोर को उनके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह का गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी अलग से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के सहकर्मी श्री राधामोहन मीणा को पृथक से दी गई। तत्पश्चात् सह आरोपी श्री

करताराम को उनके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी अलग से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना सह आरोपी के पुत्र श्री भूपेन्द्र कुमार को मौके पर दी गई। ताबाद परिवादी श्री खीमपुरी व दोनो स्वतंत्र गवाह श्री मुकेश शर्मा व श्री ईश्वरसिंह को रूखस्त किया गया। तत्पश्चात् गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री श्योराम मीणा अधीक्षक व सह आरोपी श्री करताराम (प्राईवेट व्यक्ति) का चिकित्सक परीक्षण करवाना आवश्यक होने तथा ब्यूरो कार्यालय जालोर में हवालात की व्यवस्था नही होने से पुलिस थाना कोतवाली में सुरक्षा की दृष्टि से जमा करवाने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली एवं चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय जालोर के नाम की अलग–अलग तहरीर देकर आरोपी श्री श्योराम मीणा अधीक्षक व सह आरोपी श्री करताराम (प्राईवेट व्यक्ति)को ब्यूरो जाब्ता हैड कानि0 श्री सुखाराम, कानि0 श्री गुलाबसिंह, श्री कालूराम मय निजी वाहन के रवाना कर निर्देशित किया कि श्री श्योराम मीणा अधीक्षक व सह आरोपी श्री करताराम (प्राईवेट व्यक्ति) का मेडीकल मुआयना करवाकर पुलिस थाना कोतवाली में जमा कराकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लावे। उपरोक्त फिकरा के गये हुए हैड कानि0 श्री सुखाराम मय आरोपी श्री श्योराम मीणा अधीक्षक, सीजीएसटी विभाग जालोर व सह आरोपी श्री करताराम मय ब्यूरो जाब्ता उपस्थित आया एवं हैड कानि0 सुखाराम ने बताया कि आरोपी श्री श्योराम मीणा अधीक्षक व सह आरोपी श्री करताराम (प्राईवेट व्यक्ति) का राजकीय चिकित्सालय जालोर से मेडीकल मुआयनां करवाकर मेडीकल रिपोर्ट प्राप्त की गई। बाद फारिक हो आरोपीगणो को पुलिस थाना कोतवाली पहुंच जमा हवालात करवाया जाकर रसीद प्राप्त की गई। मेडीकल रिपोर्ट व हवालात जमा रसीद की प्रति मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश की जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी श्री श्योराम मीणा पुत्र श्री कल्याण सहाय जाति मीणा उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम ईश्वरीसिंह पुरा वाया आंधी तहसील जमवायरामगढ जिला जयपुर हाल अधीक्षक केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर रेंज XX।। जालोर द्वारा लोकसेवक होते हुए अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एंव अवैध तरीके से परिवादी श्री खीमपुरी की फर्म जय गुरूदेव माईन्स को पुनः एक्टीवेट (चालू) करवाने की ऐवज में एक लाख रूपये की मांग करना, दिनांक 08.02.2022 को वक्त मांग सत्यापन परिवादी श्री खीमपुरी द्वारा अपनी फर्म जय गरूदेव ग्रेनाईट को पुनः एक्टीवेट करवाने का कहने पर आरोपी श्री श्योराम मीणा अधीक्षक ने पहले दो लाख की रिश्वत की मांग की बाद में परिवादी द्वारा विनती करने पर डेढ लाख व बाद में एक लाख रूपये रिश्वत की मांग की पुष्टि होने पर दिनांक 09.02.2022 को आरोपी श्री श्योराम मीणा अधीक्षक के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही का आयोजन करने पर आरोपी श्री श्योराम मीणा अधीक्षक द्वारा रिश्वत राशि अपने मित्र श्री नितेश कुमार को एसआर ब्रदर्स पेट्रोल पम्प जालोर को देने हेतु कहने पर श्री नितेश कुमार के पेट्रोल पम्प में उपस्थित नही होने पर जरिये मोबाईल परिवादी श्री खेमराज को उक्त रिश्वती राशि अपने सेल्समैन श्री करताराम को देने का कहने पर स्वंतत्र गवाहान के रूबरू आरोपी श्री करताराम सैल्समैन को 1,00,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया। रिश्वती राशि सह आरोपी श्री करताराम के हाथो में पकडे हुए बरामद की गई। अन्य आरोपी श्री नितेश को ट्रेप कार्यवाही की भनक लगने से अपनी सकूनत से रूहपोश है।

अतः आरोपी श्री श्योराम मीणा अधीक्षक व सह आरोपी श्री करताराम (प्राईवेट व्यक्ति) को रिश्वत राशि लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया जाने से आरोपीगणो के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120बी भादस का जुर्म घटित होना प्रथम दृष्टया पाया गया है।

अतः आरोपी श्री श्योराम मीणा पुत्र श्री कल्याण सहाय जाति मीणा उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम ईश्वरीसिंह पुरा वाया आंधी तहसील जमवायरामगढ जिला जयपुर हाल अधीक्षक केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर रेंज XX।। जालोर।, श्री करताराम पुत्र श्री रूपा जी जाति चौधरी उम्र 51 वर्ष निवासी आर्शीवाद कॉलोनी गौडीजी जालोर तहसील व जिला जालोर व श्री नितेश कुमार पुत्र श्री रामलाल गौड जाति ब्राहम्ण उम्र 35 वर्ष निवासी आशापूर्णा कॉलोनी तहसील व जिला जालोर के विरूद्ध अन्तर्गत जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120बी भादस में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावें।

भवदीय,

10.2.22

(डा0 महावीरसिंह राणावत)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जालोर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ. महावीरसिंह राणावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भादंसं में अभियुक्तगण 1.श्री श्योराम मीणा हाल अधीक्षक, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर रेंज XX।। जालोर 2.श्री करताराम पुत्र श्री रूपा जी निवासी आर्शीवाद कॉलोनी गौडीजी, जालोर एवं 3.श्री नितेश कुमार पुत्र श्री रामलाल गौड, आशापूर्णा कॉलोनी, जिला जालोर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 41/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

10.2.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

कमांकः 391-95 दिनांक 10.02.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. प्रधान आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर, जोधपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर।

10.2.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर